न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 037/2020
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. दीपक कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार उम्र 32 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी चक 24 जी जी तहसील श्रीगंगानगर हाल आबाद मकान नम्बर 11, वास्तुदेव नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादी

ब ना म

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घड़सीराम निवासी चक 24 जी जी ग्राम पंचायत चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल आबाद 11, वास्तुदेवनगर, श्रीगंगानगर (राज0)
2. अजय गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार निवासी चक 24 जी जी ग्राम पंचायत चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल आबाद 11, वास्तुदेवनगर, श्रीगंगानगर (राज0)
3. मीनू गोयल पुत्री श्री महेन्द्र कुमार पत्नी श्री नवल किशोर जाति अग्रवाल निवासी 28 एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज0)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी 1–3)
	श्री राज पैरोकार	(प्रतिवादी 4)

दिनांक 09.03.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहिन है। चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 08 की कुल 3.301 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं इसी चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 22/12 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 0.541 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि वादी के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिताजी घड़सीराम पुत्र श्योजीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिनका दिनांक 01/03/2017 को स्वर्गवास हो चुका है। खाता संख्या 74/11 एवं 22/12 के जमाबन्दी की प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 20/37 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं इसी चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 19/140 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2/2 की 0.230 हैक्टे0 कृषि भूमि वादी की माताजी कमलेश देवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 24 जी जी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 14/11 के मुरब्बा नम्बर 9 की 0.734 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि वादी की माताजी श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। वादी की माताजी श्रीमती कमलेश देवी का दिनांक 14/09/2018 को स्वर्गवास हो चुका है। चक 23 जीजी के खाता संख्या 20/37 एवं 19/140 व

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डना
(फास्ट ट्रेक) श्रीगं

Scanned with CamScanner

चक 24 जीजी के खाता संख्या 14/11 के जमाबन्दी एवं श्रीमती कमलेश देवी के मृत्यु पत्र की प्रति संलग्न वाद है। प्रतवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादीगण के दादाजी घड़सीराम पुत्र श्योजीराम से प्राप्त हुई है तथा वादीगण की माताजी श्रीमती कमलेश देवी के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विरास्तन प्राप्त हुई कृषि भूमि जरिये उपहार पत्र नाम करवाई गई है। इस प्रकार मद संख्या 2 व 3 में दर्ज कृषि भूमि विरास्तन जायदाद है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण की माताजी के नाम से दर्ज चक 23 जी जी एवं 24 जी जी की कृषि भूमि का इस प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है– दीपक कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी चक 24 जी जी तहसील श्रीगंगानगर हाल आबाद मकान नम्बर 11, वास्तुदेव नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) को चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताविक में से किला नम्बर 4(0.165 है0), 5(0.152 है0), 6, 7, 14, 15(प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0)– 1.329 हैक्टे0 नहरी तथा अजय गायल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी चक 24 जी जी तहसील श्रीगंगानगर हाल आबाद मकान नम्बर 11, वास्तुदेव नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) को चक 23 जीजी पटवार हल्का बर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 20/37 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 19/140 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2/2 की 0.230 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं 24 जी जी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 14/11 के मुरब्बा नम्बर 9 की 0.734 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि एवं चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1/2(0.012 हैक्टे0 खाला), 1/3(0.139 हैक्टे0), 10/2(0.026 हैक्टे0 खाला), 11/3(0.215 हैक्टे0)– 0.631 हैक्टे0 (0.568 हैक्टे0 नहरी + 0.063 हैक्टे0 खाला) तथा महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घड़सीराम जाति अग्रवाल निवासी चक 24 जी जी तहसील श्रीगंगानगर हाल आबाद मकान नम्बर 11, वास्तुदेव नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) को चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 22/12 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 0.541 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि जो कि घड़सीराम पुत्र श्योजीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 2(0.165 हैक्टे0), 3(0.164 हैक्टे0), 8, 9, 12, 13(प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0)– 1.341 हैक्टे0 नहरी भूमि घरेलू बंटवारा अनुसार विभाजित की गई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है, उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

Scanned with CamScanner

संख्या 1, [illegible] उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 25.06.2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की उत्तराधिकारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र मे होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी किया जावे:–

(क) वाद पत्र की मद संख्या 2 व 3 में दर्ज चक 23 जीजी एवं चक 24 जी जी की कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिनांक 03.09.2020 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी एंव प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से **किला नम्बर 4(0.165 हैक्टे0), 5(0.152 हैक्टे0), 6, 7, 14, 15(प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0)– 1.329 हैक्टे0** नहरी कृषि भूमि **वादी** को घरेलू बंटवारा में दी हुई है तथा चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 20/37 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 19/140 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2/2 की 0.230 हैक्टे0 कृषि भूमि चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 14/11 के मुरब्बा नम्बर 9 की 0.734 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे नहरी मय खाला कृषि भूमि **प्रतिवादी संख्या 1** महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से **किला नम्बर 1/2(0.012 हैक्टे0 खाला), 1/3(0.139 हैक्टे0), 10/2(0.026 हैक्टे0), 10/3(0.214 हैक्टे0), 11/2(0.025 हैक्टे0 खाला), 11/3(0.215 हैक्टे0)– 0.631 हैक्टे0 (0.568 हैक्टे0 नहरी+0.063 हैक्टे0 खाला)** को घरेलू बंटवारा अनुसार **प्रतिवादी संख्या 2** अजय गोयल को बंटवारा में दी हुई है। उक्त वर्णित घरेलू बंटवारा अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सा में आए रकबा पर मालिक काबिज है। अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामानुसार चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
[illegible] श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि **प्रतिवादी संख्या 1** महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से **किला नम्बर 4(0.165 हैक्टे0), 5(0.152 हैक्टे0), 6, 7, 14, 15(प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0)– 1.329 हैक्टे0** नहरी कृषि भूमि **वादी** दीपक कुमार की तथा चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 20/37 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 19/140 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2/2 की 0.230 हैक्टे0 कृषि भूमि चक 24 जी जी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 14/11 के मुरब्बा नम्बर 9 की 0.734 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे नहरी मय खाला कृषि भूमि **प्रतिवादी संख्या 1** महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से **किला नम्बर 1/2 (0.012 हैक्टे0 खाला), 1/3(0.139 हैक्टे0), 10/2(0.026 हैक्टे0), 10/3(0.214 हैक्टे0), 11/2(0.025 हैक्टे0 खाला), 11/3(0.215 हैक्टे0)– 0.631 हैक्टे0 (0.568 हैक्टे0 नहरी, 0.063 हैक्टे0 खाला)** को घरेलू बंटवारा अनुसार **प्रतिवादी संख्या 2** अजय गोयल की घोषित की जाकर डिकी जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

दिनांक 24.09.2020 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत। जवाब राज्य पक्ष के अनुसार वाद के बिन्दु संख्या– 1,4,5,6,7,8 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 02 व 03 राजस्व रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 09,10 कानूनी है। वादी अपने परिवार में सदस्यो के हिस्से तक ही हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 24 जी जी पटवार हल्का चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 एवं चक 23 जी जी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 एवं नामान्तकरण संख्या 423 दिनांक 23.01.2014 ग्राम 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ भू–अभिलेख क्षेत्र चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्व होता है। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी दीपक कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 2 अजय गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(.......) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.09.2020 के अनुसार **वादी दीपक कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार को** चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 4(0.165 है0), 5(0.152 है0), 6, 7, 14, 15(प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0)– 1.329 हैक्टे0 नहरी भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 2 अजय गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार** को चक 23 जीजी पटवार हल्का बर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 20/37 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 19/140 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2/2 की 0.230 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं 24 जी जी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 14/11 के मुरब्बा नम्बर 9 की 0.734 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि एवं चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74/11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1/2(0.012 हैक्टे0 खाला), 1/3(0.139 हैक्टे0), 10/2(0.026 हैक्टे0 खाला), 11/3(0.215 हैक्टे0)– 0.631 हैक्टे0 (0.568 हैक्टे0 नहरी + 0.063 हैक्टे0 खाला) का खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 इस भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा प्राकृतिक स्नेहवश अपने हिस्सा का परित्याग करती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.03.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर ए एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 037 / 2020
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1.दीपक कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार उम्र 32 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी चक 24 जी जी तहसील श्रीगंगानगर हाल आबाद मकान नम्बर 11, वास्तुदेव नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादी

ब ना म

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घड़सीराम निवासी चक 24 जी जी ग्राम पंचायत चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल आबाद 11, वास्तुदेवनगर, श्रीगंगानगर (राज0)
2. अजय गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार निवासी चक 24 जी जी ग्राम पंचायत चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल आबाद 11, वास्तुदेवनगर, श्रीगंगानगर (राज0)
3. मीनू गोयल पुत्री श्री महेन्द्र कुमार पत्नी श्री नवल किशोर जाति अग्रवाल निवासी 28 एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज0)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी 1–3)
	श्री राज पैरोकार	(प्रतिवादी 4)

दिनांक 05.04.2021

वादपत्र संख्या 037 / 2020
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी पैरोकार राज प्रतिवादी–4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर **वादी दीपक कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार को** चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74 / 11 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 4(0.165 है0), 5(0.152 है0), 6, 7, 14, 15(प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0)– 1.329 हैक्टे0 नहरी भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 2 अजय गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार** को चक 23 जीजी पटवार हल्का बर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 20 / 37 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं चक 23 जीजी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 19 / 140 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2 / 2 की 0.230 हैक्टे0 कृषि भूमि एवं 24 जी जी पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 14 / 11 के मुरब्बा नम्बर 9 की 0.734 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि एवं चक 24 जी जी पटवार हल्का चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 74 / 11

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

...नम्बर 8 की कुल 3.301 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या
...कुमार पुत्र घडसीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर
...0.012 हैक्टे0 खाला), 1/3(0.139 हैक्टे0), 10/2(0.026 हैक्टे0 खाला), 11/3(0.
...हैक्टे0)– 0.631 हैक्टे0 (0.568 हैक्टे0 नहरी + 0.063 हैक्टे0 खाला) का खातेदार
...किया जाता है। अतः डिकी जारी की जाती है।
...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर
...शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें
...हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

9/3/24

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष द्वारा बहस सुना की गई, वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा/सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाए। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर डिग्री जारी हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नत्थीबद्द हो।

5/4/24

निर्णय दिनांक 9.3.2024 की पालना मे स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक पेश की गयी, पत्रावली मे पर्चा डिग्री जारी हो, पत्रावली पुनः नत्थीबद्द हो, पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से काट की जाकर निर्णित की सूची मे शामिल हो।

Scanned with CamScanner